विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 390 / 2024–25 दिनांक– 13/08/2024

श्री नागेन्द्र सकलानी,
ग्राम–ऑली, जोशीमठ। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री नागेन्द्र सकलानी, संयोजन सं0–GP0K000408709 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 05.03.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा दिनांक 18.01.2024 को एक पुरानी तिथि का बिल जो कि रू0 688883 की धनराशि का बिल दिया गया है, जो कि न्यायोचित्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु दिनांक 28.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, दिनांक 08.04.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह कुँवर (का0स0) विभागीय प्रतिनिधि वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता का संयोजन 30 किलोवाट का है एवं उक्त मामला खण्ड स्तर का है, विभाग ने मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 17.05.2024 एवं दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 30 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 30 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 396/2024–25 दिनांक– 13/08/2024

श्री मदन सिंह s/o श्री रतन सिंह – परिवादी
ग्राम–पैंग पंचायत क्षेत्र –तपोवन जोशीमठ
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत संयोजन न दिये जाने के सन्दर्भ में है। श्री मदन सिंह s/o श्री रतन सिंह, ग्राम–पैंग पंचायत क्षेत्र –तपोवन जोशीमठ, ने पत्र दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवान सिंह के औली स्थित मकान में बतौर किराएदार के होटल का संचालन वर्ष 1918 से कर रहा है, जिसका विद्युत कनेक्शन मकान मालिक द्वारा दिया गया है, जिसका नियमित विद्युत बिल प्रार्थी द्वारा दिया जा रहा है। हॉल ही में किसी बिना कारण के मकान मालिक द्वारा प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है जिस कारण प्रार्थी तीन गुना दर पर उक्तं होटल में विद्युत कनेक्शन लगवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा मंच से विभाग को आदेशित कर तीन गुना दर पर विद्युत कनेक्शन लगाने की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 1021 दिनांक 02.05.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। दिनांक 17.05.2024, एवं दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता बतौर किराएदार होटल का संचालन वर्ष 1918 से कर रहा है, जिसका विद्युत कनेक्शन मकान मालिक द्वारा दिया गया है, किन्तु बिना किसी कारण के मकान मालिक द्वारा प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release Of New Connections and Related Metters) regulations,2020** के विनियम 3.3.2 के बिन्दु 4(a) के अनुसार संयोजन जारी करने के लिए आवेदक का जिस परिक्षेत्र पर संयोजन आपेक्षित है, उसके स्वामित्व एवं अधिकार के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज जमा करेगा–

a) विक्रयलेख या पटालेख की प्रति या खसरा या खतोनी की प्रति (इस प्रयोजन हेतु खसरा या खतोनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना पर्याप्त होगा।)
b) रजिस्ट्रीकृत सामान्य मख्त्यारनामा ।
c) नगरपालिका की रसीद या मांग सूचना या कोई अन्य सम्बधित दस्तावेज।
d) आवेदक आंवटन पत्र।

अगर आवेदक परिक्षेत्र का स्वामी नही है, किन्तु परिक्षेत्र पर उसका कब्जा हैं, तो आवेदक उपरोक्त क्रं0 (a) से (d) में दिये गये दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ परिक्षेत्र के स्वामी का अनापत्ति पत्र भी जमा करेगा।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 396 / 2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 13/08/2024

e) परन्तु यदि आवेदक उपरोक्त a से d में दिये दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जमा करने में असमर्थ हो तो आवेदक सिक्योरिटी की 3 गुना धनराशि जमा करके संयोजन लेने का हकदार है, तथा परिक्षेत्र का स्वामी ऐसे संयोजन के लिए किन्ही भी देय धनराशि के भुगतान का जिम्मेदार नहीं होगा।

4. बिन्दु (3) (e) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता सिक्योरिटी की 3 गुना धनराशि जमा करके संयोजन लेने का हकदार है, तथा परिक्षेत्र का स्वामी ऐसे संयोजन के लिए किन्ही भी देय धनराशि के भुगतान का जिम्मेदार नहीं होगा।

आदेश

मंच विभाग को आदेश देता है कि परिवादी द्वारा सिक्योरिटी की 3 गुना धनराशि जमा करने पर उपभोक्ता के परिसर में संयोजन स्थापित करना सुनिश्चित करें । इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (भद्रनगर, गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 397 / 2024–25 दिनांक- 13/08/2024

श्री प्रदीप बिष्ट
ग्रा0–डुंग्रा, पो0–सलूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लाइन में करन्ट आने के सन्दर्भ में है। श्री प्रदीप बिष्ट, ग्रा0–डुंग्रा, पो0–सलूड़, संयोजन सं0–GP 21312480033 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी की मकान की रेलिंग पर विद्युत करन्ट आ रहा है, जिससे प्रार्थी को जनहानि होने का खतरा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 1021 दिनांक 02.05.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 17.05.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए, दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण कुँवर (का0स0) वि0वि0 उपखण्ड जोशीमठ ने अपने कार्यालय पत्रांक 60 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 406 / 2024–25 दिनांक– 14/08/2024

श्रीमती हेमन्ती देवी,
नियर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल,
लंगासू। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैंण। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती हेमन्ती देवी, संयोजन सं0–GS22204173452 वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने पत्र दिनांक 17.05.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थिनी को पिछले साल से मुझे विद्युत बिल एक ही रीडिंग के प्रेषित किये जा रहे हैं, एवं अत्यधिक चार्ज की भी विभाग द्वारा मुझसे मांग की जा रही है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 1034 दिनांक 24.05.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 197 / वि0वि0उ0ख0(कर्ण0) दिनांक 06.06.2024 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त उपभोक्ता सपरिवार घर से बाहर रहते हैं जिसके कारण मीटर रीडिंग करने में कठिनाई होती है। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम **5.1.4 (1)(2)(3)** में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

(2) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रूका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

(3) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 406 / 2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 14/08/2024

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" *5.1.7* ***त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग***

(1) *त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम माँग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम माँग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम माँग पर विचारित की जाएगी।"*

4. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 30.04.2024 तक **NR** के विद्युत बिल प्रेषित किये गये हैं जो कि **UERC** के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है, अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिये गये **NR** के बिलों को संशोधित कर वर्तमान के विद्युत बिलों में समायोजित कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया जाता है कि विभाग भविष्य में उपभोक्ता को **NR** के विद्युत बिल प्रेषित न किये जायें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 402/2024–25 दिनांक–

समस्त मारवाड़ी ग्रामीण जोशीमठ। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। समस्त मारवाड़ी ग्रामीण, जोशीमठ वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 29.04.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी के ग्राम मारवाड़ी में विद्युत पोल एवं विद्युत लाइन लूज है, हवा होने के कारण विद्युत तारें आवास से टकराने पर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है, और अधिक समय तक लाइट नहीं रहती है, एवं बड़ी लाइनों के पोल भी झुके हुए है। जिससे हवा होने पर गिरने का खतरा बना हुआ है, और जन हानि होने की समस्या बनी हुई है प्रार्थी द्वारा मंच से उक्त समस्या का समाधान करने की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा शिकायत की सुनवाई दिनांक 17.05.2024 एवं 10.06.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।
3. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 की अनुसूची–I में कार्य निष्पादन के गारंटीशुधा न्यूनतम मानक, अनुसूची–II में कार्य निष्पादन के सम्पूर्ण मानक विनिर्दिष्ट हैं, जिन्हें वितरण अनुज्ञाप्तिधारी को प्राप्त करना आवश्यक है। वितरण अनुज्ञाप्तिधारी उक्त मापदंड के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे और उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वितरण अनुज्ञाप्तिधारी से उसे इन विनियमों में निर्मित उपबन्धों के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए सेवा का न्यूनतम मानक प्राप्त हों। उक्त विनियम के क्रमांक (उपविनियम) 6(1) के अनुसार यदि अनुज्ञाप्तिधारी अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट निष्पादन के गारंटीशुदा मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा। प्रभावित व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति उक्त विनियमों की अनुसूची–III में विनिर्दिष्टि की गई है।

आदेश

मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के भीतर परिवादी की समस्या का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। तथा विभाग आदेश का अनुपालन करते हुए, अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के भीतर मंच को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 399/2024-25 दिनांक- 14/08/2024

श्री रघुवीर सिंह परमार — परिवादी
ग्रा0-सिंहधार, जोशीमठ

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री रघुवीर सिंह परमार, ग्रा0-सिंहधार, जोशीमठ वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 29.04.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा विद्युत बिल नियमित रूप से प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं, एवं मीटर रीडिंग चार माह में की जा रही है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा शिकायत की सुनवाई दिनांक 17.05.2024 एवं 10.06.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत में संयोजन संख्या न होने के कारण उक्त वाद में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः परिवाद अस्वीकार करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। और उपभोक्ता को यह सुझाव जाता है कि वह अपनी विद्युत संयोजन संख्या सहित लिखित शिकायत विभाग को प्रेषित करे, एवं शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में मय प्रमाण के साथ मंच में लिखित शिकायत संयोजन संख्या सहित दर्ज करे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता)	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 387 / 2024—25 दिनांक— 12/08/2024

श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 गुलामी लाल ग्रा0—सुकी, पो0—सुराईथोटा।	—	परिवादी
	बनाम	
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।	—	विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी	सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी	सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी	सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 गुलामी लाल, संयोजन सं0—GP11418402511 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 26.02.2024 को ईमेल द्वारा पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा लगातार अनियमित विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 985 दिनांक 20.03.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत की सुनवाई दिनांक 28.03.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 08.04.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह कुँवर, वि0वि0उपखण्ड जोशीमठ, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिनांक 22.01.2018 से दिनांक 31.01.2019 तक का RDF विद्युत बिल प्रेषित करने के बाद मीटर रीडिंग के बिल दिये गये हैं। एंव दिनांक 23.01.2022 के पश्चात् चार बिलों को छोड़कर सभी बिल NA के दिये गये हैं।
4. **UERC (The Electricity Supply Code) Regulations 2007,** के **Sub-regulation 3.1.4** के अनुसार सभी खराब मीटर (**ADF,RDF OR IDF**) तीन महीनों के समय के अन्तर्गत ठीक करना तय किया गया है। मीटर खराब होने की दशा में **Sub-regulation** 3.2(1) के अनुसार उपभोक्ता के Average Consumption के हिसाब से अधिकतम तीन महीने तक ही विद्युत बिल दिए जा सकते है , और इस समय के अन्तर्गत मीटर बदलना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है।
5. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम **5.1.4** (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं—

   " *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

   (1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

   (2) *जहॉं अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रूका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 387 / 2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 12/08/2024

(3) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" 5.1.7 त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग

(1) *त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए / चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम माँग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों / बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम माँग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों / बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम माँग पर विचारित की जाएगी।"*

6. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का मीटर 03 अक्टूबर 2013 को बदला गया किन्तु दिनांक 22.01.2018 से दिनांक 31.01.2019 तक उपभोक्ता का मीटर RDF घोषित करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा मीटर नहीं बदला जाना **UERC** के नियमों का उल्लंघन है, उपभोक्ता द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि मीटर की गुणवत्ता (शुद्धता) पर संशय किया गया हो। उपभोक्ता को प्रेषित किया गया दिनांक 08.03.2019 का विद्युत बिल सात RDF बिल के पश्चात् मीटर रीडिंग का बिल उपभोक्ता के कनेक्टेड लोड से अत्यधिक जरूर प्रतीत होता है। लेकिन यह बिल दिनांक 22.01.2018 से दिनांक 31.01.2019 तक दिये गये RDF बिल में समायोजित किये जाने के उपरान्त अत्यधिक नहीं है। अतः विभाग द्वारा उपरोक्त RDF बिल को समायोजित करना उचित होगा। उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री से यह भी पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिलों की धनराशि वर्ष 2016 के उपरान्त केवल दो बार दिनांक 12.04.2021 को रू0 7000 तथा दिनांक 31.01.2023 को रू0 5000 दी गई है, जिससे उपभोक्ता के बिल की राशि अधिक हुई है। जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार है।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 20.07.2013 से दिनांक 17.03.2024 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 15.03.2023 तथा दिनांक 15.05.2023 का बीजक पिछले तीन बिल चक्रों की औसत खपत के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 355/2024-25 दिनांक- 12/08/2024

श्री जितेन्द्र सिंह रावत — परिवादी
ग्राम व पो0-पीपलकोटी।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री जितेन्द्र सिंह रावत, संयोजन सं0-GP60362131327 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 24.01.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी के परिसर पर पूर्व में 1000 लीटर का सोलर वाटर हीटर प्लांट था, जिसमें विभाग द्वारा 1000 लीटर की बिजली के बिल में छूट दी जा रही थी, एवं मई माह में 1000 लीटर का एक और नया सोलर वाटर हीटर प्लांट लगाया गया जिसके सम्पूर्ण दस्तावेज वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर (कोठियालसैंण) में जमा किये गये, किन्तु 2000 लीटर का सोलर वाटर हीटर प्लांट लगाने के बावजूद विभाग द्वारा 500 लीटर की ही छूट मिल रही है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, किन्तु विभाग की ओर से श्री दीपक राणा अवर अभियंता वि0वि0उपखण्ड चमोली विभगीय प्रतिनिधि ने दूरभाष के माध्यम से मंच को अवगत किया कि लम्बे समय से खण्ड में वरिष्ठ अधिकारियों के न होने के कारण शिकायत का निवारण नहीं हो पा रहा है एवं दिनांक 21.02.2024 को नये अधिशासी अभियंता ने पदभार ग्रहण किया है, विभाग द्वारा शिकायत के समाधान हेतु मंच से एक अगली तिथि की मॉग की गई।
3. मंच द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 28.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग उपस्थित नहीं हुए, किन्तु विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1846 दिनांक 28.03.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि वर्तमान में राजस्व वसूली व लोकसभा चुनाव होने के कारण विभाग उक्त सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते है। विभाग द्वारा शिकायत के समाधान हेतु मंच से एक अगली तिथि की मॉग की गई।
4. मंच द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 06.04.2024 के दौरान विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता राजस्व वि0वि0खण्ड गोपेश्वर विभगीय प्रतिनिधि द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता को मई 2023 से मार्च 2024 तक का बिल व 2000 लीटर सोलर वाटर हीटर का बिल संशोधित कर उपभोक्ता के अगले आने वाले विद्युत बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा, जिससे सम्बन्धित रिपोर्ट अधिशासी अभियंता के स्तर से स्वीकृत होने के एक सप्ताह पश्चात् रिपोर्ट मंच को प्रेषित कर दी जायेगी। दिनांक 17.05.2024 एवं दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता-एवं विभाग उपस्थित नहीं हुए।
5. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। टैरिफ आदेश सन् 2023-24 की किताब के पृष्ठ संख्या-323 के अध्याय -08 दर अनुसूची (रेट शेड्युल) विनियम 8.1 संलग्नक 1: 01.04.2023 से प्रभावी दर अनुसूची के बिन्दु-8 में सोलर वाटर हीटर छूट के नियम विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं-
"(8) *यदि उपभोक्ता सोलर वाटर हीटर प्रणाली संस्थापित करता है तथा उसका उपयोग करता है तो प्रणाली की प्रत्येक 100 लीटर क्षमता के लिए रू0 100/-या उस माह का बिल, दोनों में जो कम हो, की छूट इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि उपभोक्ता अनुज्ञापी को यह शपथपत्र देगा कि उसने वह प्रणाली संस्थापित की है, जिसे अनुज्ञापी समय-समय पर सत्यापित करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यदि ऐसा कोई दावा झूठा पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता के विरूद्ध की जा सकने वाली दण्डात्मक विधिक कार्यवाही के*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 355 / 2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 12/08/2024

अतिरिक्त अनुज्ञापी, 100 प्रतिशत जुर्माने के साथ उपभोक्ता को अनुमन्य कुल छूट की वसूली करेगा तथा अगले 12 माह तक के लिए ऐसी छूट प्राप्ति निषेधित करेगा।"

6. विभाग ने मंच के सम्मुख दिनांक 17.05.2024 एवं दिनांक 10.06.2024 की सुनवाई के दौरान कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे उपभोक्ता के तथ्यों को गलत साबित कर सके, एवं ना ही उपभोक्ता द्वारा दिए गए शपथ पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की । अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञापी को दिये गये शपथपत्र के अनुसार ही विद्युत बिलों में सौलर वाटर हीटर की छूट दी जाय। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 374/2024—25 दिनांक— 09/08/2024

श्री बलवन्त सिंह, S/O श्री पान सिंह, — परिवादी
ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री बलवन्त सिंह S/O श्री पान सिंह, ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़, संयोजन सं0—NB 21318701569 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 891 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 9022 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 2796 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, एवं कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) मंच को प्रस्तुत की।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच ने अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 18.12.2023 के बिल की खपत 1437 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 976 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 18.12.2023 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। एवं विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के अगस्त 2016 से दिसम्बर 2023 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम 5.2.1(8)**में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं—

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य—*

(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 374/2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 09/08/2024

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिंवादी को उसकी दिनांक 18.12.2023 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 18.12.2021 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 18.12.2023 का बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

8. मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 18.12.2023 के विद्युत बिल को निरस्त कर परिवादी का दिनांक 18.12.2023 का बीजक पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 369/2023–24 दिनांक– 08/08/2024

श्री लक्ष्मण सिंह, S/O स्व0 खिलाफ सिंह, – परिवादी
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री लक्ष्मण सिंह S/O स्व0 खिलाफ सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318701496 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनियमित रूप से एवं खपत से अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 886 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 32,010 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 17641.04 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) एवं संशोधित किये गये बिलों का गणना पत्रक मंच को प्रस्तुत किया।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच द्वारा अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 18.12.2023 तथा दिनांक 11.02.2024 के विद्युत बिलों की खपत 1657 एवं 4670 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है, विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 974 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। एवं विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के अप्रैल 2016 से फरवरी 2024 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम 5.2.1(8)**में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य–*

(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 369/2024-25
उ०शि०नि०मं० कर्णप्रयाग

दिनांक- 08/08/2024

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिवादी को उसकी दिनांक 18.12.2023 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 18.12.2021 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्धता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 018.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चकों के अनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के विद्युत बिलों को निरस्त कर परिवादी के दिनांक 018.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बीजक पिछले तीन बिलिंग चकों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य-तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

(2) जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रूका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।

(3) जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" ***5.1.7 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग***

(1) त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।

(2) अधिकतम मॉग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉग पर विचारित की जाएगी।"

6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 बिलिंग के विनियम 5.1.2(6)(7) तथा 5.2.1(4)में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.2 मीटर का पढ़ना–*

(6) जहाँ किसी उपभोक्ता की अनुपलब्धता (एनए) के कारण मीटर पढ़ा नहीं जा सका है ता अनुज्ञापी, जिस तिथि को उपभोक्ता के परिसर पर मीटर रीडिंग लेने गया था, तथा ऐसा करने में सक्षम नहीं होने के कारण इंकित करते हुए पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के आधार पर एक अस्थायी बिल जारी करेगा। जब कभी मीटर पढ़ा जायेगा तो ऐसे सभी बिलों का उचित रूप से समायोजन किया जाएगा। इस तरह की अनंतिम बिलिंग एक समय में लगातार दो बार से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए जारी नहीं रखी जाएगी तथा उसके बाद कोई अनंतिम बिल जारी नहीं किया जाएगा।

(7) यदि लगातार दो मीटर रीडिंग की तिथियों पर मीटर की पहुँच नहीं हो पा रही है तो अनुज्ञापी तिथि तथा समय इंकित करते हुए मीटर रीडिंग लेने के लिए परिसर को खुला रखने का 15 दिन का स्पष्ट नोटिस, उचित रसीद को प्राप्त कर उपभोक्ता को देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, तो अनुज्ञापी नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, जब तक ऐसी मनाही या विफलता जारी रहे, तब तक के लिए आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 381 / 2024–25 दिनांक– 08/08/2024

श्रीमती गोदाम्बरी रावत, – परिवादी
(मॉ राज राजेश्वरी स्वायत सहकारिता)
विकासखण्ड – थराली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती गोदाम्बरी रावत, (मॉ राज राजेश्वरी स्वायत सहकारिता) विकासखण्ड – थराली, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी ने विभाग को वर्ष 2020 में III फेज कनैक्शन हेतु आवेदन किया गया था जिसका भुगतान रू 68,500 चैक सं0– 34753 से कर दिया गया था किन्तु विभाग द्वारा वर्ष 2021 में बिना ट्रॉसफार्मर लगाये III फेज कनैक्शन लगाया गया। परियोजना सपोर्ट बन्द होने के कारण कार्यालय में III फेज संयोजन बन्द करने हेतु दिनांक 19.06.2023 को पत्रांक 0023 से विभाग को पत्र दिया गया जिसका विभाग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एवं विभाग द्वारा प्रार्थी को बिना मीटर रीडिंग के अनुमानित विद्युत बिल दिये जा रहे हैं, जो उसकी खपत से अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि विभाग ने उपभोक्ता को 07.01.2022 से 11.04.2022 तक NR एवं NA 06.05.2022 से 03.02.2024 तक NA के विद्युत विल प्रेषित किया है।
4. **UERC (The Electricity Supply Code) Regulations 2007,** के **Sub-regulation 3.1.4** के अनुसार सभी खराब मीटर **(ADF,RDF,NA/NR OR IDF)** तीन महीनों के समय के अन्तर्गत ठीक करना तय किया गया है। मीटर खराब होने की दशा में **Sub-regulation 3.2(1)** के अनुसार उपभोक्ता के Average Consumption के हिसाब से अधिकतम तीन महीने तक ही विद्युत बिल दिए जा सकते है, और इस समय के अन्तर्गत मीटर बदलना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है।
5. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम **5.1.4 (1)(2)(3)** में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 381/2024–25 दिनांक– 08/08/2024
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य*
(7) अंतरिम बिलिंग (एनए/एनआर/आईडीएफ/एडीएफ/आरडीएफ, औसत खपत के आधार पर बिलिंग) दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए नहीं होगी। यदि किसी मामले में मीटर पर पहुँच लगातार दो बिलिंग चक्रों के लिए न हो तो उपविनियम 5.1.2 के क्लॉज (7) के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

7. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2022 एवं दिनांक 07.07.2022 से दिनांक 03.02.2024 तक NA के बिल दिये जाना **UERC** के उपरोक्त बिन्दु (4) से (6) तक दिये गये नियमों का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है, तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार दिनांक 07.01.2022 तथा दिनांक 07.02.2022 एवं दिनांक 06.05.2022 व दिनांक 07.06.2022 के बिल पिछले तीन बिल चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करने योग्य हैं।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 08.03.2022 से दिनांक 03.02.2024 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 10.02.2023 एवं दिनांक 15.03.2023 का बीजक पिछले तीन बिल चक्रों की औसत खपत के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता)	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 378 / 2024–25 दिनांक– 09/08/2024

श्री देवेन्द्र सिंह,
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। — विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री देवेन्द्र सिंह ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318701573 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनुमानित विद्युत बिल दिया जा रहा है, जो उसकी खपत से अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 894 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 15869 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 5622 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, एवं कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) मंच को प्रस्तुत की।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच ने अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 18.12.2023 के बिल की खपत 1657 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 979 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 18.12.2023 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के अक्टूबर 2016 से फरवरी 2024 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम 5.2.1(8)**में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य–*
(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

दिनांक– 09/08/2025

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिवादी को उसकी दिनांक 18.12.2023 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 18.12.2021 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 18.12.2023 का बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोंक्ता के दिनांक 18.12.2023 के विद्युत बिल को निरस्त कर परिवादी का दिनांक 18.12.2023 का बीजक पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 382 / 2024–25 दिनांक– 09/08/2024

श्रीमती गौरी देवी, — परिवादी
ग्रा0–गेरूड़, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती गौरी देवी, ग्राम व पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318902061 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 895 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 53536 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 34417 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, एवं कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) मंच को प्रस्तुत की।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच द्वारा अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 08.02.2024 के विद्युत बिल की खपत 7538 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है, विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 980 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 08.02.2024 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। एवं विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के फरवरी 2019 से फरवरी 2024 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम 5.2.1(8)**में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य–*

(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 382 / 2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 01/06/2024

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिवादी को उसकी दिनांक 08.02.2024 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 08.02.2022 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 08.02.2024 का बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 08.02.2024 के विद्युत बिल को निरस्त कर परिवादी का दिनांक 08.02.2024 का बीजक पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 376 / 2024–25 दिनांक– 09/08/2024

श्री दरवान सिंह, S/O श्री किशन सिंह,
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री दरवान सिंह S/O श्री किशन सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318837601 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 892 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 9288 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 6783.79 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, एवं कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) मंच को प्रस्तुत की।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच ने अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 18.12.2023 के बिल की खपत 1392 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 977 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 18.12.2023 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। एवं विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2023 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम** 5.2.1(8)में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य–*

(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 376/2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 09/08/2024

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिवादी को उसकी दिनांक 18.12.2023 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 18.12.2021 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 18.12.2023 का बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

8. मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता का दिनांक 18.12.2023 के विद्युत बिल को निरस्त कर परिवादी का दिनांक 18.12.2023 का बीजक पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 377 / 2024–25 दिनांक– 09/08/2024

श्री अनकपाल सिंह, – परिवादी
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री अनकपाल सिंह ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318701482 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनियमित रूप से विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 893 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 32724 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 18571.65 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, एवं कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) मंच को प्रस्तुत की।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच द्वारा अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 18.12.2023 तथा दिनांक 11.02.2024 के विद्युत बिलों की खपत 1657 एवं 4583 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है, विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 978 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। एवं विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के अप्रैल 2016 से फरवरी 2024 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम 5.2.1(8)**में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य–*

(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 377/2024–25
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 09/08/2024

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिवादी को उसकी दिनांक 18.12.2023 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 18.12.2021 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

8. मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 18.12.2023 तथा दिनांक 11.02.2024 के विद्युत बिलों को निरस्त कर परिवादी के दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बीजक पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 373/2024–25 दिनांक– 09/08/2024

श्री कलम सिंह रावत, – परिवादी
ग्रा0–गेरूड़, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कलम सिंह रावत, ग्राम व पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318901702 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर रीडिंग के विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता के बिलों में सुधार कर दिया गया है, विभाग द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मंच से एक अगली तिथि की मांग की।
3. दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 890 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के वर्तमान विद्युत बिल की धनराशि रू0 40417 थी, एवं संशोधित कर उक्त बिल की धनराशि रू0 20103.41 शेष है, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। विभाग ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, एवं कन्ज्यूमर लेजर (Ledger) मंच को प्रस्तुत की।
4. विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मंच ने अवलोकन करने पर यह देखा गया कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि दिनांक 19.12.2023 तथा दिनांक 10.02.2024 के विद्युत बिलों की खपत 1683 एवं 7271 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में अधिक है, एवं तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है। मंच द्वारा पत्रांक 975 दिनांक 07.03.2024 को उक्त वाद में अन्तरिम आदेश द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता के उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक रोक लगायी गई।
5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिये गये दिनांक 19.12.2023 तथा दिनांक 10.02.2024 को दर्शायी गई बिजली की खपत स्वीकृत विद्युत भार की तुलना में तकनीकि दृष्टि से यथोचित्त नहीं है। एवं विभाग द्वारा मंच को दिये गये गणना पत्रक के अनुसार उपभोक्ता के नवम्बर 2018 से फरवरी 2024 तक बिलों को संशोधित किया गया है।
6. **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations** 2020 **बिलिंग के विनियम 5.2.1(8)**में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.2.1 बिलिंग सामान्य–*
(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से दो वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गये हों ।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 373 / 2024–25
उ०शि०नि०मं० कर्णप्रयाग

दिनांक– 09/08/2024

7. बिन्दु (6) में दिये गये विनियम से यह स्पष्ट है कि विभाग को उपभोक्ता के दो साल से पूर्व के बिलों में संशोधित करके ऐसा प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं है, जो प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों। अतः मंच का यह मत है कि परिवादी को उसकी दिनांक 19.12.2023 के बिल की शिकायत की तिथि से दो वर्ष पूर्व दिनांक 19.12.2021 से पहले प्रेषित किए गए विद्युत बिलों में सुधार करके प्रभार की मॉग करना UERC के ऊपर दिये गये विनियमों का उल्लघंन है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने हेतु मीटर की ना तो MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही चेक मीटर लगाकर अपना पक्ष रखा, विभाग मीटर की गुणवत्ता एवं शुद्वता साबित करने में पर्याप्त समय देने के बावजूद भी नाकाम रहा। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकर करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 19.12.2023 एवं दिनांक 10.02.2024 के बिल निरस्त कर UERC की आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अंनुसार संशोधित करना न्यायोचित होगा।

आदेश

8. मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 19.12.2023 तथा दिनांक 10.02.2024 के विद्युत बिलों को निरस्त कर परिवादी के दिनांक 19.12.2023 एवं दिनांक 10.02.2024 के बीजक पिछले तीन बिलिंग चक्रों के अनुसार संशोधित कर प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें, एवं विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL